

न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी - श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व वाद सं. 331/2015

अन्तर्गत धारा 53, 88,188 RT Act.

वादी - 1. कालूसिंह पुत्र दलपतसिंह जाति राजपूत निवासी चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर (सम्पूर्ण हिस्सा बैचान करने से मुकनसिंह के स्थान पर कालूसिंह का नाम रिकर्ड पर)

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. इन्द्रकंवर पत्नी बिजराजसिंह (फौत के का. मु. पूर्व में रिकर्ड पर है)
2. दशरथ पत्नी दलपतसिंह
3. दलपतसिंह पुत्र बिजराजसिंह (फौत के कायम मुकाम के कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 2)
4. उमेदसिंह पुत्र बिजराजसिंह (फौत के कायम मुकाम) 4/1 देरावरसिंह पुत्र उमेदसिंह
5. पूर्णसिंह पुत्र रूगनाथसिंह
6. उतमसिंह पुत्र रूगनाथसिंह जाति राजपूत निवासी चौहटन तहसील चौहटन
7. लोकचन्द पुत्र महोदवमल
8. प्रकाशचन्द पुत्र चमनलाल जातियान माहेश्वरी
9. दिनेश पुत्र पारसमल (सम्पूर्ण हिस्सा बैचान होने से कालूसिंह पूर्व में रिकर्ड पर)
10. कपिल पुत्र मदनलाल
11. रविकुमार पुत्र मदनलाल
12. राकेश कुमार पुत्र किशनलाल
13. अमृतलाल पुत्र मोहनलाल
14. कैलाश कुमार पुत्र मोहनलाल
15. गणतपराज पुत्र मोहनलाल
16. रमेश कुमार पुत्र मोहनलाल जातियान जैन निवासी चौहटन
17. तहसीलदार चौहटन

उपस्थित -

वादी वकील -

श्री उम्मेदसिंह सोढ़ा

प्रतिवादी वकील -

श्री रामजीवन विश्नोई, श्री मोतीराम मेणसा,

श्री प्रवीण चौधरी व राज पेरोकार



--- निर्णय ---

दिनांक : 15.05.2026

उपरोक्त वाद में न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौहटन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो शामिल पत्रावली किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है। अतः न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव अनुसार तहसील चौहटन के मौजा कापराऊ के खसरा सं. 491/165 रकबा 58.12 बीघा के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं।

28
सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

खसरा का नाम मय वल्लियत कुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (बीघा)	किस्म	लगान	बरंग
1 काश चन्द पुत्र चिमनलाल	कापराऊ	491 / 165	0.2372	बा.दो.	0.09	तहसीलदार चौहटन से प्राप्त विभाजन में दर्शाये बरंग अनुसार
2 लोकचन्द पुत्र महादेवमल		491 / 165	0.2372	बा.दो.	0.09	
3 रमेश कुमार पुत्र मोहनलाल कौम जैन (ओसवाल)		491 / 165	0.4452	बा.दो.	0.17	
4 अमृतलाल पुत्र मोहनलाल कौम जैन		491 / 165	0.1756	बा.दो.	0.07	
5 कैलाश कुमार पुत्र मोहनलाल कौम जैन		491 / 165	0.1756	बा.दो.	0.07	
6 गणपतराज पुत्र मोहनलाल कौम जैन		491 / 165	0.1756	बा.दो.	0.07	
7 कालूसिंह पुत्र दलपतसिंह कौम राजपूत (मुकनसिंह पुत्र नरपतसिंह कौम राजपुत द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा बैचान करने से)		491 / 165	0.6475	बा.दो.	0.24	
8 कालूसिंह पुत्र दलपतसिंह कौम राजपूत (दिनेश कुमार पुत्र पारसमल कौम ओसवाल द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा बैचान करने से)		491 / 165	0.1778	बा.दो.	0.07	
9 कपिल कुमार पुत्र मदनलाल रवि कुमार पुत्र मदनलाल कौम जैन		491 / 165	0.5336	बा.दो.	0.20	
10 राकेश कुमार पुत्र किशनलाल कौम जैन		491 / 165	0.6475	बा.दो.	0.24	
11 उत्तमसिंह पुत्र रूगनाथसिंह 14/14908 हि. पूरणसिंह पुत्र रूगनाथसिंह 14/14908 हि. इन्द्रकंवर पत्नी बीजराजसिंह 115/7454 हि. दलपतसिंह पुत्र बीजराजसिंह 1465/7454 हि. दशरथ कंवर पत्नी दलपतसिंह 2930/3727 हि. कौम राजपूत	कापराऊ	491 / 165	5.7930	बा.दो.	2.20	
		491 / 165	0.2400			
		योग	6.0330			

नोट - खातेदार उम्मेदसिंह पुत्र बीजराजसिंह, सवाईलाल पुत्र माणकमल, नखतसिंह पुत्र प्रेमसिंह द्वारा पूर्व हि. कपिलकुमार रविकुमार पि. मदनलाल को बैचान करने पर विभाजन में नाम शामिल नहीं किये गये। राकेश कुमार पुत्र किशनलाल की माता द्वारा भूमि खरीदने व माता फौत होने पर न्यायालय द्वारा खातेदार घोषित किया गया।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो।



(रणछोड़ लाल)
सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन